



**The Uttar Pradesh Vidhan Mandal (Sadasyon ki Uplabdhi or Pension)
(Sanshodhan) Adhiniyam, 1978**

Act 19 of 1978

Keyword(s):

Pension, Conveyance, Leader of Opposition, Facilities, Assembly, Speaker, Chairman, Legislative Council, Allowance

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

राजवीय प्रका
स्त प्रकाशन

L.A.
15/78-19H

Cap. 2

156323

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेशन का)
(संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1978)

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 मई, 1978 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 24 मई, 1978 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 28 मई, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1-खण्ड (क) में दिनांक 29 मई, 1978 ई० को प्रकाशित हुआ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेशन का) अधिनियम, 1952 का अप्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में सिम्लिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेशन का) (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए हृपया दिनांक 17 मई, 1978 ई० का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 3-खण्ड (क) देखिये।)

PRICE 25 Paise

संक्षिप्त ताल

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12
सन् 1952 को
घारा 2 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पैशान का) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, घारा 2 में, उपधारा (1), (1-क) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराये रख दी जायेंगी, अर्थात्—

“(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप मंत्री, उपाध्यक्ष, उप सभापति या सभा सचिव के पद पर आसीन न हो, नियमों द्वारा विहित की जाने वाली रीति और दिनांक से—

(क) ऐसी धनराशि के मूल्य के निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा कूपन दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश के भीतर किसी भी समय और किसी रेल द्वारा, में यात्रा करने का हकदार होगा;

(ख) ऐसी धनराशि के मूल्य के निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा कूपन दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी समय और किसी रेल द्वारा, प्रति वर्ष पन्द्रह हजार किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार होगा जिसे राज्य सरकार रेलवे बोर्ड के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे :

परन्तु ऐसा सदस्य ऐसी रीति से जो नियमों द्वारा विहित की जाय, रेल यात्रा में अपने साथ एक सहवार्ती ले जाने के लिए भी निम्नलिखित दशाओं में उक्त कूपनों का प्रयोग कर सकता है—

(एक) यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के प्रत्येक सदस्य में अधिक से अधिक दो बार अपने निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक आने के लिए और लखनऊ से ऐसे रेलवे स्टेशन तक वापस जाने के लिए;

(दो) महिला सदस्य की स्थिति में ऐसी यात्रा के लिए जो उसके द्वारा ऐसे सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों और कृत्यों के सम्बन्ध में अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिए और ऐसी उपस्थिति के पश्चात् अपने निवास स्थान को वापसी के लिए की जाय :

परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य ऐसी रीति से जो विहित की जाय, अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर रेल यात्रा में ले जाने के लिए उक्त कूपनों का प्रयोग कर सकता है, किन्तु इस प्रकार यात्रा का कुल व्यय जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर की गयी यात्रा का व्यय भी है, ऐसी अधिकतम सीमा के अधीन होगा जैसा खंड (ख) के अनुसार अवधारित किया जाय :

परन्तु यह भी कि जहां खण्ड (ख) के अधीन अवधारित कूपनों का मूल्य एक सौ रुपये का गुणक न हो, वहां उसे एक सौ रुपये के निकटतम गुणक में पूर्णांकित किया जायगा, अर्थात् एक सौ रुपये का वह भाग जो पचास रुपये से कम हो, उसे छोड़ दिया जायगा और किसी अन्य भाग की गणना एक सौ रुपया की जायगी;

(ग) निःशुल्क असंक्रमणीय पास दिया जायगा जिनसे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी समय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस द्वारा, उच्चतम श्रेणी में, यदि कोई हो, तसमय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री-कर का भुगतान किये बिना यात्रा करने का हकदार होगा ।

(2) सार्वजनिक कार्यों के संबंध में अपेक्षित यात्राओं से भिन्न यात्राओं के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, जो उपधारा (1) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो, उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा के लिए धनराशि मूल्य कूपन दिये जायेंगे और वे ऐसी रीति से जो विहित की जाय, अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर रेल यात्रा में ले जाने के लिए उक्त कूपनों का प्रयोग करने के हकदार होंगे, किन्तु इस प्रकार कुल दूरी, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर, की गयी यात्रा की दूरी भी है, पन्द्रह हजार किलोमीटर प्रति वर्ष की उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर रहेगी ।

स्पष्टीकरणः—उपधारा (1) और (2) के प्रयोजनों के लिये—

(एक) उत्तर प्रदेश के बाहर रेल यात्रा की दूरी की संगणना करने में, उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी सम्मिलित नहीं की जायगी।

(दो) पद 'बर्ष' का तात्पर्य बारह मास की उस कालावधि से है, जो पहली जून से आरम्भ होकर आगामी 31 मई, को समाप्त हो।

(3) ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जो विहित की जायं, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, ऐसे सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों या कार्यों से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिए निम्नलिखित का हकदार होगा—

(क) उक्त प्रयोजनों के लिए, यात्रा के लिए, अर्थात्, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के प्रत्येक सदर में या उसकी किसी समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए, अधिक से अधिक किसी कलेन्डर मास में दो बार केवल बैठक के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए आनुषंगिक व्यय;

(ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा बुलायी गयी बैठक में भाग लेने के लिए, बैठक के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए आनुषंगिक व्यय;

(ग) समिति के ऐसे कार्य के संबंध में जो समिति की बैठक से भिन्न हो, समिति के सभापति के रूप में उनके द्वारा अधिक से अधिक किसी कलेन्डर मास में दो बार केवल लखमऊ आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की गयी यात्रा और के लिए आनुषंगिक व्यय; और

(घ) पन्द्रह रुपये की दर से दैनिक भत्ता :

परन्तु नेता, विरोधी दल को कोई दैनिक भत्ता देय न होगा।

स्पष्टीकरणः—इस अधिनियम में पद "नेता विरोधी दल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा के ऐसे सदस्य से है जिसे विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो।"

3—मूल अधिनियम की द्वारा⁵ में, उपधारा (3) निकाल दी जायगी।

धारा 5 का संशोधन